



एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक 12.02.2021

निर्णय की तिथि 26.02.2021

रिट अपील संख्या 43/2020

(डब्ल्यू पी एस संख्या 537/08 में विद्वान एकल न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित दिनांक 24-10-2019 के आदेशानुसार)

विष्णु चंद्रकार पुत्र श्री भुवनलाल चंद्राकर
उम्र लगभग 48 वर्ष, पंचायतकर्मी, ग्राम पंचायत पौहा,
तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़
अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, पंचायत विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय नवा रायपुर,
जिला - रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से
2. संचालक पंचायत, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर,
जिला रायपुर छत्तीसगढ़
3. उप.संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण दुर्ग,
जिला - दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. उमेश चन्द्राकर, पुत्र श्री बिसाहत चन्द्राकर, निवासी ग्राम पौहा,
तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ०ग०)
5. सरपंच, ग्राम पंचायत पौहा, तहसील पाटन,
जिला दुर्ग छत्तीसगढ़
उत्तरदाता

अपीलकर्ता के लिए
उत्तरदाता 1 से 3 के लिए

- श्री राकेश पाण्डेय, अधिवक्ता,
- श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उप महाधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 5 के लिए

- श्री उधोराम कोशले, अधिवक्ता

माननीय श्री पी आर रामचन्द्र मेमन, मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश
सी ए व्ही आदेश

प्रति पार्थ प्रतीम साहू, जे.

1. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 24.10.2019 के आदेश की सत्यता और स्थायित्व को इस अपील में चुनौती दी गई है,



जिसमें निदेशक, पंचायत द्वारा दिनांक 12.12.2007 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया था।

2. इस अपील के निराकरण हेतु सुसंगत तथ्य यह है कि दिनांक 5.4.2005 को ग्राम पंचायत पौहा, विकासखण्ड पाटन, जिला दुर्ग द्वारा पंचायत कर्मों के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुसार याचिकाकर्ता/अपीलार्थी एवं 8 अन्य ने पंचायत कर्मों के पद हेतु आवेदन किया था। दिनांक 25.4.2005 को ग्राम पंचायत की बैठक में, जिसमें ग्राम पंचायत के 14 सदस्य उपस्थित थे, आवेदन की जांच करने एवं विज्ञापन की शर्तों के मद्देनजर याचिकाकर्ता/अपीलार्थी को बहुमत अर्थात् 11:3 मतों से चयनित किया गया। ग्राम पंचायत सदस्यों के बहुमत से उक्त चयन के आधार पर सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28.4.2005 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने ग्राम पंचायत के सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को याचिकाकर्ता का नाम प्रस्तावित किया था, जिसे स्वीकृत कर दिया गया और याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता को सचिव के पद पर नियुक्ति का आदेश छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (अधिनियम, 1993') की धारा 69 (1) के तहत 4.5.2005 को पारित किया गया। याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता की नियुक्ति को प्रतिवादी क्रमांक 4 ने निदेशक, पंचायत के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी थी, मुख्य रूप से इस आधार पर कि याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता की नियुक्ति के समय अपीलकर्ता का भाई ग्राम पंचायत में पंच का पद धारण कर रहा था, ऐसे में याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता की नियुक्ति शून्य और अवैध है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर अपील पर निदेशक, पंचायत ने अपीलार्थी के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 5-सरपंच, ग्राम पंचायत, पौहा को उपस्थित होने तथा जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया था। निदेशक, पंचायत ने अपील में दिए गए आधारों, संबंधित पक्षों द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों तथा अधिनियम, 1993 की धारा 69 (1) के प्रावधान पर विचार करते हुए दिनांक 12.12.2007 के आदेश के तहत यह माना कि पंचायत कर्मों की नियुक्ति की कार्यवाही अधिनियम, 1993 की धारा 69 (1) के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी तथा अपीलार्थी की नियुक्ति के दिनांक 4.5.2005 के आदेश को निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता/अपीलार्थी ने दिनांक 12.12.2007 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 537/2008 दायर की। उक्त रिट याचिका दिनांक 24.10.2019 को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के



लिए आई और उक्त तिथि को विद्वान एकल न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात् तथा अधिनियम, 1993 की धारा 69 (1) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उक्त आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया।

3. अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश पाण्डेय ने प्रस्तुत किया कि निदेशक तथा विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि दिनांक 7.1.1997 के संशोधन द्वारा सम्मिलित अधिनियम, 1993 की धारा 69 (1) का प्रावधान पंचायत कर्मियों के पद पर नियुक्ति पर लागू होता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 69 (1) का प्रावधान केवल पंचायत सचिव पर लागू होता है, पंचायत कर्मियों पर नहीं, क्योंकि पंचायत कर्मियों की नियुक्ति अधिनियम, 1993 के तहत नहीं की जाती है तथा उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना के तहत की जाती है, जिसे 'पंचायत कर्मी योजना, 1995' (संक्षेप में '1995 की योजना') के नाम से जाना जाता है, जिसे तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 1995 में प्रारंभ किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत कर्मियों को उनकी नियुक्ति के बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा कलेक्टर को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की जाती है और कलेक्टर अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत उन्हें पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त/घोषित करते हैं। उन्होंने इस न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया कि 1995 से पहले ग्राम पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सहायक, एक सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाता था, लेकिन 1995 की योजना के निर्माण के बाद ग्राम सहायक के पद को 'मृत संवर्ग' घोषित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता की नियुक्ति 1995 की योजना के तहत की जाती है। पंचायत कर्मी और पंचायत सचिव की नियुक्तियां दो अलग-अलग पदों के लिए होती हैं। उपरोक्त दलील के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने प्रहलाद सिंह पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2000 (1) एमपीएचटी 89 का हवाला दिया है। नियुक्ति की तिथि से अपीलार्थी पद पर कार्यरत है तथा निदेशक पंचायत द्वारा दिनांक 12.12.2007 को आदेश पारित किए जाने के बाद भी अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6.2.2008 को पारित यथास्थिति के अंतरिम आदेश के आधार पर पद पर कार्यरत है। उन्होंने आगे दलील दी है कि लगभग 15 वर्ष से अधिक समय तक पंचायत सचिव के पद पर कार्य करने के बाद यदि अपीलार्थी को अब हटाया जाता है तो वह किसी अन्य पद पर सरकारी नौकरी नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसकी आयु 45 वर्ष हो चुकी है।



4. राज्य के विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दुबे ने प्रस्तुत किया कि पंचायत कर्मी योजना अधिनियम, 1993 की धारा 70 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई है। 1995 की योजना के तहत नियुक्त पंचायत कर्मी को ग्राम पंचायत का सचिव घोषित किया जाना है। 1995 की योजना के तहत पंचायत कर्मियों को केवल 1995 की योजना के खंड 2.4 के तहत पंचायत सचिव के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त पंचायत कर्मी की घोषणा और अधिसूचना, पंचायत कर्मी के रूप में उसकी नियुक्ति की सूचना के परिणामस्वरूप होती है, लेकिन उक्त घोषणा और अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी है। उन्होंने बताया कि विशिष्ट आदेश पारित करने तथा पंचायत कर्मी को ग्राम पंचायत सचिव के रूप में अधिसूचित करने संबंधी उपरोक्त संशोधन दिनांक 30.10.1996 को ही शामिल कर लिया गया था, तथापि दिनांक 22.11.2010 के आदेश द्वारा पंचायत कर्मी का पदनाम बदलकर ग्राम पंचायत सचिव कर दिया गया है। वर्ष 1995 की योजना के अंतर्गत नियुक्त पंचायत कर्मी के कार्य, कर्तव्य एवं शक्तियां पंचायत सचिव के समान ही हैं, जो वर्ष 1995 की योजना से भी स्पष्ट है। धारा 69 (1) के अन्तर्गत प्रतिबंध 7.1.1997 को संशोधन के माध्यम से इस उद्देश्य से डाला गया है कि ग्राम पंचायत के सचिव को लेखा-जोखा रखने, सभी प्रकार की कार्यवाही दर्ज करने आदि सहित सभी कर्तव्यों का पालन करना होता है, इसलिए पंचायत के पदाधिकारियों के रिश्तेदारों के लिए अधिनियम, 1993 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत सचिव के पद पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान डाला गया है। 1995 की योजना के अनुसार, चूंकि पंचायत कर्मी को पंचायत सचिव के सभी कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करना होता है, इसलिए अधिनियम, 1993 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत प्रतिबंध पंचायत कर्मी की नियुक्ति के लिए भी पूरी ताकत से लागू होगा।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा रिट याचिका और रिट अपील के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों की बेहतर समझ के लिए, अधिनियम, 1993 की धारा 69 (1) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों पर एक नजर डालना लाभदायक होगा जो सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है और साथ ही 1995 की योजना के प्रासंगिक खंड भी। अधिनियम, 1993 की धारा 69 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार उद्धृत है:-



“69. सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति। - (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी किसी ग्राम पंचायत या दो या अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिए सचिव नियुक्त कर सकता है: बशर्ते कि इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले ग्राम पंचायत के सचिव का प्रभार संभालने वाला व्यक्ति इस धारा के अनुसार सचिव नियुक्त होने तक इस रूप में कार्य करना जारी रखेगा: आगे यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सचिव का प्रभार नहीं संभालेगा, यदि ऐसा व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी का रिश्तेदार है। स्पष्टीकरण. - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए “रिश्तेदार” से तात्पर्य पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, सास, साला, साली, दामाद, पुत्रवधू से होगा। योजना 1995 के प्रासंगिक खंड नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:-

2. विस्तार:

2.1 प्रत्येक जिले में जिन ग्राम पंचायतों में “ग्राम सहायक” पदस्थ होकर “सचिव” का कार्य संपादित कर रहे हैं, वे पूर्वानुसार पदस्थ रहते हुए सचिव का कार्य संपादित करते रहेंगे, किन्तु यदि कोई “ग्राम सहायक” एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों के सचिव का कार्य देख रहा हो तो कलेक्टर उसे केवल निर्धारित मुख्यालय वाली ग्राम पंचायत का “सचिव” नियुक्त करते हुए शेष पंचायतों के सचिव के कार्यभार से मुक्त करेगा।

इस तरह की नियुक्ति हेतु राज्य शासन संबंधित जिले के कलेक्टर को मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अंतर्गत “विहित प्राधिकारी” घोषित करता है।

2.2 भविष्य में “ग्राम सहायक” के पद पर शासन के अंतर्गत कोई नई नियुक्ति नहीं होगी तथा यह “डाईंग काडर” होगा। वर्तमान में सेवारत “ग्राम सहायक” शासकीय सेवक बने रहेंगे तथा उन्हें शासन के विभागीय नियमों/निर्देशों के अंतर्गत पदोन्नति आदि प्राप्त होती रहेगी। उनका काडर प्रबंधन यथावत् पंचायत विभाग के अंतर्गत रहेगा।

2.3. जिन ग्राम पंचायतों में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी शासकीय सेवक को ग्राम पंचायत के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया हो ऐसे शासकीय सेवक भी अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त हो जायेंगे।

2.4. मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निर्देशित करती है कि उपरोक्त निर्देशों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को छोड़कर जिन में शासन द्वारा नियम ग्राम सहायक पंचायत सचिव का कार्य करेंगे, शेष ग्राम पंचायतें,



पंचायत सचिव के कार्य संपादन के लिए किसी एक व्यक्ति को स्वयं अपने स्तर से इन निर्देशों के अंतर्गत नियुक्त करेगी। यह व्यक्ति ग्राम पंचायत की आवश्यकता अनुसार पूर्णकालिक, अर्धकालिक अथवा संविदा आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा। इस तरह नियुक्त हुआ व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत को मानसेवी कर्मचारी होगा तथा यह “पंचायत कर्मी” के नाम से जाना जायेगा। (ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर्मी की विधिवत नियुक्ति की सूचना दिए जाने पर विहित अधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को म.प्र. पंचायत अधिनियम की धारा 69 (1) के अधीन उक्त ग्राम पंचायत का सचिव अधिसूचित करने का विशिष्ट आदेश जारी किया जावेगा। सचिव अधिसूचित करने सम्बन्धी उक्त आदेश को संशोधित, परिवर्तित करने का अधिकार विहित प्राधिकारी को होगा।)

2.5 उक्तानुसार विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायतों को छोड़कर जहाँ कलेक्टर द्वारा सचिव की नियुक्ति की जावेगी, शेष ग्राम पंचायतें इस योजना में आगे बतलाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ‘पंचायत कर्मी’ की नियुक्ति करने हेतु स्वतंत्र होगी। इन विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायतों में भी ग्राम सहायक की सेवा निवृत्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र, मृत्यु, सेवा से हटाए जाने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त हो जाने पर ‘कलेक्टर’ की अनुज्ञा उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत जहाँ रिक्त हुई है पंचायत कर्मी की नियुक्ति कर सकेगी।

7. अधिनियम, 1993 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत या दो या अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिए की जाएगी। धारा 69 के पहले प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति जो अधिनियम, 1993 के लागू होने से ठीक पहले ग्राम पंचायत के सचिव का कार्यभार संभाल रहा है, वह तब तक इस पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि कानून के अनुसार सचिव की नियुक्ति नहीं हो जाती। उपर्युक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि 1995 की योजना के लागू होने से पूर्व ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी थी तथा 1995 की योजना का मूल प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि ग्राम पंचायत के सचिव का प्रभार ग्राम सहायक (ग्राम सहायक) के पास था, जो सरकारी कर्मचारी भी था, लेकिन 1995 की योजना के लागू होने के पश्चात सरकारी कर्मचारी 'ग्राम सहायक (ग्राम सहायक)' का पद 'मृत संवर्ग' घोषित कर दिया गया। खण्ड 2.3 में आगे उल्लेख किया गया है कि जहां किसी सरकारी कर्मचारी को ग्राम पंचायत के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया जाएगा। योजना 1995 के अन्तर्गत यदि



कोई ग्राम सहायक (ग्राम सहायक) एक से अधिक ग्राम पंचायतों के सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, तो योजना 1995 के प्रभावी होने के पश्चात उक्त ग्राम सहायक को किसी एक ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए ही सचिव नियुक्त किया जाएगा तथा अन्य ग्राम पंचायतों के सचिव के प्रभार से मुक्त कर दिया जाएगा। उपर्युक्त खण्डों से यह स्पष्ट है कि योजना 1995 के प्रभावी होने के पश्चात सरकार का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पंचायत कर्मी की नियुक्ति करना है, जिसे तत्पश्चात सचिव घोषित किया जाएगा। योजना 1995 की धारा 2.4 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा यह सूचना भेजे जाने पर कि पंचायत कर्मी विधिक रूप से नियुक्त है, विहित अधिकारी पंचायत कर्मी को पंचायत सचिव के रूप में अधिसूचित करने का आदेश पारित करेगा।

8. उपर्युक्त उद्धृत धाराओं के अवलोकन से पता चलता है कि पंचायत कर्मी की नियुक्ति का उद्देश्य पंचायत सचिव का कार्य संपादित करना है, जिसे कलेक्टर द्वारा अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत सचिव घोषित किया जाना है। योजना 1995 की धारा 2.4 पर एक नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर्मी की नियुक्ति की सूचना अग्रेषित करने पर विहित अधिकारी अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत पंचायत कर्मी को पंचायत सचिव घोषित करने का आदेश अधिसूचित करेगा। योजना 1995 के अन्तर्गत यदि पंचायत कर्मी को केवल पंचायत कर्मी के कर्तव्यों एवं कार्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया जाता है, तो धारा 69 (1) के अन्तर्गत विहित अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाना पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप होता है, तो पंचायत कर्मी एवं पंचायत सचिव को दो अलग-अलग व्यक्ति नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब दोनों व्यक्तियों के कार्यों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों की प्रकृति समान हो। राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 22.11.2010 (अनुलग्नक आर-3) के माध्यम से पंचायत कर्मी का पदनाम बदलकर ग्राम पंचायत सचिव कर दिया था, जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पंचायत कर्मी एवं ग्राम पंचायत सचिव एक ही हैं।

9. अधिनियम, 1993 की धारा 69 के अन्तर्गत संशोधन धारा 69 (1) में परन्तुक जोड़कर वर्ष 1997 में दिनांक 7.9.1997 से लागू किया गया है। धारा 69 (1) के द्वितीय परन्तुक तथा उसके साथ संलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संशोधन के माध्यम से विधानमण्डल ने किसी ग्राम पंचायत के सचिव का कार्यभार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारण करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी का सम्बन्धी हो। प्रावधान जोड़ने और ग्राम पंचायत के



पदाधिकारी के रिश्तेदार को सचिव का प्रभार संभालने से रोकने के पीछे की मंशा मध्य प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1996 के उद्देश्य और कारणों के कथन से समझी जा सकती है, जो इस प्रकार है:-

“उद्देश्य और कारणों का कथन- संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसरण में मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, 1994) अधिनियमित किया गया और परिणामस्वरूप यह अनुभव किया गया कि पंचायतों के कुशल संचालन के लिए अधिनियम में कुछ और प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता है

2. विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) xxxx

(ii) xxxx

(iii) xxxx

(iv) xxxx

(v) xxxx

(vi) पक्षपात और भाई-भतीजावाद पर अंकुश लगाने के लिए, “कदाचार” शब्द में संशोधन किया जा रहा है ताकि पदाधिकारियों को अपने निकट संबंधियों की नियुक्ति करने या अपने रिश्तेदारों को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ देने से रोका जा सके। यह भी प्रस्तावित है कि किसी भी पदाधिकारी का कोई भी रिश्तेदार संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव नहीं बनेगा।”

इस प्रकार रोक लगाने का उद्देश्य और लक्ष्य पक्षपात और भाई-भतीजावाद पर अंकुश लगाना और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को निकट संबंधियों की नियुक्ति करने या उन्हें कोई आर्थिक लाभ देने से रोकना है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता की नियुक्ति के समय उसका भाई ग्राम पंचायत पौहा में पंच के पद पर था और इस प्रकार वह ग्राम पंचायत का पदाधिकारी था और उसने चयन कार्यवाही में भाग लिया था, जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से हुई थी। इससे स्वयं पता चलता है कि सचिव का कार्य करने के लिए पंचायत कर्मों की चयन द्वारा नियुक्ति सीधे तौर पर अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के विपरीत है।

10. प्रहलाद सिंह पटेल (सुप्रा) के मामले में, जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था, विद्वान न्यायाधीश ने आदेश के पैराग्राफ 8 और 9 में अधिनियम, 1993 की धारा 69 (1) के अंतर्गत दूसरा



परंतुक जोड़ने के उद्देश्य पर विचार किया है। इसके अलावा, पंचायत कर्मी और पंचायत सचिव की स्थिति पर विचार करते हुए, विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पंचायत कर्मी और पंचायत सचिव दो अलग-अलग और विशिष्ट पहचान हैं। विद्वान न्यायाधीश ने धारा (1) के तहत योजना 1995 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के मामलों के प्रबंधन के लिए कम से कम एक कर्मचारी नियुक्त कर सकती है, ने माना है कि चूंकि ग्राम पंचायत एक से अधिक कर्मचारियों यानी पंचायत कर्मियों को नियुक्त कर सकती है, इसलिए प्रत्येक पंचायत कर्मी को पंचायत सचिव घोषित नहीं किया जा सकता है। निर्णय आवेदन के मामले के तथ्यों पर किया जाना है।

11. योजना 1995 को लागू करने का मूल उद्देश्य पंचायत सचिव के सभी कार्यों को करने के लिए पंचायत कर्मी के पदनाम के तहत एक व्यक्ति को नियुक्त करना है। योजना 1995 के लागू होने से पहले, लगभग सभी ग्राम पंचायतों में, ग्राम सहायक (ग्राम सहायक) पंचायत सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। योजना 1995 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले ग्राम सहायक के पद को किसी अन्य ग्राम सहायक द्वारा नहीं भरा जाएगा, इसे 'मृत संवर्ग पद' माना जाएगा तथा इसके स्थान पर योजना 1995 के अंतर्गत पंचायत कर्मी की नियुक्ति की जाएगी। 31.10.1996 को किए गए संशोधन के अनुसार, किसी ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर्मी की नियुक्ति के पश्चात विहित अधिकारी को उक्त पंचायत कर्मी को संबंधित ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव अधिसूचित करते हुए परिणामी आदेश पारित करना होगा।

12. वर्तमान स्थिति में, पंचायत कर्मी की नियुक्ति के लिए ग्राम पंचायत द्वारा की गई नियुक्ति कार्यवाही उसे पंचायत सचिव घोषित या अधिसूचित करने के लिए है, जो मामले के अभिलेख से स्पष्ट है कि पंचायत कर्मी की नियुक्ति 28.4.2005 को की गई है तथा उसके कुछ ही दिनों के भीतर उसे पंचायत सचिव के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। योजना 1995 की धारा 2.4 के अनुसार भी, पंचायत कर्मी की नियुक्ति के संबंध में सूचना अग्रेषित करने के तुरंत बाद, विहित अधिकारी पंचायत कर्मी को पंचायत सचिव के रूप में अधिसूचित करने का आदेश पारित करेगा। वर्तमान मामले के तथ्यों के आलोक में जहां अपीलकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता का भाई भी बहुमत के आधार पर उसकी नियुक्ति की तारीख पर पंच था, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता द्वारा जिस मामले पर भरोसा किया गया है, उससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी।



13. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम, 1993 की धारा 69 (1) के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दों "प्रभार धारण नहीं करेगा" का सही रूप से संज्ञान लिया है तथा निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

"6.... शब्द "प्रभार धारण नहीं करेगा" को "इजुस्टेम जेनेरिस" पढ़ा जाना चाहिए, न कि अलग से। इस प्रावधान का उद्देश्य ग्राम पंचायत के भाई- भतीजावाद तथा पक्षपातपूर्ण कार्यकलापों को रोकना है। भाई- भतीजावाद की रोकथाम पंचायत के पदाधिकारियों के रिश्तेदारों की नियुक्ति पर रोक लगाकर की जाती है तथा पक्षपातपूर्ण कार्यकलापों की रोकथाम मौजूदा पंचायत सचिव को तब तक पद का प्रभार धारण करने से वंचित करके की जाती है, जब तक कि उसका रिश्तेदार ग्राम पंचायत में निर्वाचित पद धारण करके पद पर बना रहता है।

" विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष में हमें कोई कमी नहीं दिखती।

14. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन के संबंध में कि अपीलकर्ता के भाई, जो ग्राम पंचायत में पंच के पद पर थे, ने त्यागपत्र दे दिया है। अनुलग्नक पी-10 के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें गैर-आवेदक अर्थात् ग्राम पंचायत के सरपंच और अपीलकर्ता ने केवल प्रारंभिक आपत्तियां प्रस्तुत की हैं और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर अपील का उत्तर नहीं दिया है। अपील में प्रतिवादी संख्या 4 ने आधार संख्या 2 में विशेष रूप से दलील दी है कि अपीलकर्ता महेश चंद्राकर का सगा भाई है, जो ग्राम पंचायत का पंच चुना गया था। वास्तव में, अपीलकर्ता की नियुक्ति आदेश को चुनौती देने का यह मुख्य आधार था। इसमें गैर-आवेदक अर्थात् सरपंच और अपीलकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लिखित निवेदन प्रस्तुत किए हैं। लिखित प्रस्तुतियों के पैरा-5 के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में की गई दलीलों को केवल यह कहकर नकार दिया है कि अपीलकर्ता का कोई भी रिश्तेदार ग्राम पंचायत में कोई पद धारण नहीं कर रहा है। यह 11.7.2007 को दायर किया गया था। उन्होंने अपीलकर्ता के भाई द्वारा 16.4.2005 को त्यागपत्र देने के संबंध में उल्लेख नहीं किया है, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया था। लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में यह आधार पहली बार लिया गया है। अपीलकर्ता ने त्यागपत्र प्रस्तुत करने, उसकी स्वीकृति या त्यागपत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के परिणाम से संबंधित कोई कार्यवाही दायर नहीं की है। इस प्रकार के सभी आवेदन अर्थात् ग्राम



पंचायत के पदाधिकारी के पद से त्यागपत्र देने के आवेदन अभिलेख में रखे जाते हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा संधारित रजिस्टर में उचित कार्यवाही करने के पश्चात उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाना है। अपीलकर्ता ने अभिलेख में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चले कि पंचायत कर्मी के रूप में उसकी नियुक्ति की तिथि को उसके भाई ने पंच के पद से त्यागपत्र दे दिया था, उसे स्वीकार कर लिया गया तथा उसने चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, जो कि नौ में से एक पंचायत कर्मी के चयन के लिए बहुमत के आधार पर की गई है। अतः अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन स्वीकार्य नहीं है तथा इसे निरस्त किया जाता है।

15. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत अन्य दलील कि चूंकि अपीलकर्ता ने लगभग 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए उसकी नियुक्ति में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए, इस न्यायालय में इस कारण से अपील नहीं की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति स्वयं कानून के प्रावधानों के विपरीत है और अवैधता की गई है और समय के भीतर तुरंत चुनौती दी गई है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी प्राधिकारी द्वारा की गई उक्त अवैध कार्यवाही को उचित आदेश पारित करके ठीक करे। जिस पद पर याचिकाकर्ता जैसे किसी व्यक्ति को कानून के प्रावधानों के विपरीत या अवैध कार्यवाही करके नियुक्त किया गया है, उस पर बने रहने मात्र से उसे उक्त पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह मामले में (2007) 2 एससीसी 491 में रिपोर्ट की है:-

“22. हम ऐसा करने के लिए राजी नहीं हैं क्योंकि इस न्यायालय के निर्णय हमारे सामने हैं। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। यह सुझाव दिया गया कि चूंकि प्रतिवादी पद धारण करने के योग्य हैं और वे लंबे समय से लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए यह न्यायालय विवादित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला के मद्देनजर, हम उक्त दलील को स्वीकार नहीं कर सकते।

16. उपर्युक्त कारणों से, हमें विवादित आदेश में कोई कमी या अवैधता नहीं दिखती। रिट अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

सही/-
(पी० आर० रामचन्द्र मेनन)
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
(पार्थ प्रतीक साहू)
न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

